

पत्रांक-02/सिरीज-03/2016, परि0
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरुणा कुमारी बि0प्र0से0,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
बक्सर।

पटना, दिनांक

विषय :- जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-751, दिनांक-01.04.2026 के संबंध में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज **BR-44X** प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज **BR-44W** में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक (परिवहन) वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/सिरीज-03/2016, परि0 2658 पटना, दिनांक- 08/04/2026
प्रतिलिपि :- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को ई0-ऑक्शन में समाहित करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

074-26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक-02/सिरीज-03/2016, परि 2658
बिहार सरकार
परिवहन विभाग

प्रेषक,

अरुणा कुमारी बि०प्र०से०,
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
बक्सर।

पटना, दिनांक 08/04/2026

विषय :- जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-751, दिनांक-01.04.2026 के संबंध में कहना है कि जिला परिवहन कार्यालय पर निजी (गैर परिवहन) वाहनों के निबंधन हेतु नया निबंधन सिरीज BR-44X प्रारंभ करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वर्तमान चालू सिरीज BR-44W में 9999 वाहनों का निबंधन पूर्ण होने के पश्चात् ही इस नयी सिरीज के अन्तर्गत निबंधन प्रारंभ किया जाएगा। इस आवंटित सिरीज में मालवाहक एवं व्यावसायिक (परिवहन) वाहनों का निबंधन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त पर राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वामाजन,

07-4-26
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।